सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः **01/2019** प्रार्थना पत्र (रसद)

अनवान

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, उदयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री राम संजीवन मिश्रा पुत्र मनीराम मिश्रा हाल निवासी झामरकोटडा रोड़ सेक्टर 6 रेल्वे ट्रेक के निकट, उदयपुर
2. श्री बनवारी लाल वैष्णव पुत्र श्री बद्रीदास वैष्णव हाल निवासी पाराखेत, कलडवास, उदयपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए (1)(2)आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित एलपीजी गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के तहत 4 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो मय 16.7 किलो एलपीजी एवं 5 सिलेण्डर गो गैस कम्पनी के मय 16.7 किलोग्राम एलपीजी को राजसात(Confiscate)कराने के कम में।

उपस्थितः— श्रीमती मानसी पण्डया, प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
श्री सुनील शर्मा अधिवक्ता विपक्षी सं. 2

निर्णय

दिनांक : 12.09.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी, उदयपुर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित एलपीजी गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 14.12.2018 को जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर के निर्देश पर पुलिस थाना हिरणमगरी से.6 से जाप्ता श्री नानालाल एस.आई., श्री रणजीत सिह हैड का.नि.432, श्री करण सिंह का.नि.689, श्री राकेश कॉनिस्टेबल का.नि.2048 के साथ झामरकोटडा रोड़ पर गैस रिफिल के अवैध कारोबार परिसर पर आकस्मिक पहुंच जांच की गई। मौके पर विपक्षी उपस्थित मिले। मौके पर सरकारी ऑयल कम्पनी के चार घरेलू गैस सिलेण्डर 2 एचपीसीएल, 1 आईओसीएल का, 1 बीपीसीएल का तथा 6

सिलेण्डर गो गैस कम्पनी के पाये गये। भण्डारण के कागजात मांगने पर श्री राम संजीवन द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की। इतनी मात्रा में एलपीजी एक स्थान पर रखने पर कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। इस प्रकार मौके पर पाये गये 10 गैस सिलेण्डर मय 33.4 किलोग्राम गैस बाद अधिग्रहण मैसर्स शिवम गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर श्री संजीव शर्मा को सुपुर्दगी में दिये गये जो सिलेण्डरों को संभाल कर रखेगे। मौके पर सिलेण्डर भंण्डारण बाबत किसी प्रकार की कोई वैध कागजात नहीं होना बताया, ना ही विस्फोटक विभाग का कोई अनुज्ञा लेना बताया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा यह कृत्य एलपीजी गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के क्लॉज 3(1)(सी) का उल्लघंन होना पाया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। जिस कारण मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरो को अधिग्रहण किये गये है। जिनको राज्यसात शीघ्रताशीघ्र किया जाना फरमावे, क्योंकि उक्त गैस सिलेण्डरों में गैस एलपीजी भरी हुई है जो अत्यन्त ज्वलनशील है। विस्फोट होकर जनहानि हो सकती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से दिनांक 26.08.19 को एकतरफा कार्यवाही की गई। तामीलन नोटिस संलग्न पत्रावली है। विपक्षी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा उपस्थित हुए। जिनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर मौखिक रूप से निवेदन किया गया कि मै तो मात्र दर्शक था, कार्यवाही देख रहा था, इन गैस सिलेण्डरो से मेरा कोई लेना–देना नहीं है।

प्रकरण में उपस्थित पेरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण के गौदाम की जांच की गई। वक्त जांच सरकारी ऑयल कम्पनी के चार घरेलू गैस सिलेण्डर 2 एचपीसीएल, 1 आईओसीएल का, 1 बीपीसीएल का तथा 6 सिलेण्डर गो गैस कम्पनी के पाये गये। मौके पर उपस्थित विपक्षीगणों के पास इन गैस सिलेण्डरों के कोई कागजात नहीं होना बताया। ना ही इनके संबंध में विस्फोटक विभाग का कोई अनुज्ञापत्र होना बताया गया। मौके पर विपक्षी सं. 1 द्वारा यह बताया कि व्यवसाय स्थल श्री ओम प्रकाश मेनारिया से 6500रू. मासिक किराये पर लेकर गो गैस कम्पनी की सस्ती दर पर 900 रू. में सिलेण्डर खरीद कर 1030 रू. में चार पहिया वाहनों में रिफिल करना बताया। जिन्हे मौके पर अधिग्रहण किये जाकर मैसर्स शिवम गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर श्री संजीव शर्मा को सुपुर्दगी में दिये गये है। जिनको गैस सिलेण्डर अवैध भण्डारण करना एलपीजी गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के क्लॉज 3(1)(सी) का उल्लघंन होना पाया

गया। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। जप्त गैस अत्यन्त ज्वलनशील है, विस्फोट होकर जनहानि हो सकती है। जिसका निस्तारण किया जाना भी अतिआवश्यक है।

अतः प्रवर्तन निरीक्षक उदयपुर का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर उक्त सरकारी ऑयल कम्पनी के चार घरेलू गैस सिलेण्डर 2 एचपीसीएल, 1 आईओसीएल का, 1 बीपीसीएल का तथा 6 सिलेण्डर गो गैस कम्पनी मय गैस के राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी (प्रथम), उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह जब्तशुदा उक्त 10 गैस सिलेण्डर मय 33.4 किलोग्राम गैस का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें। राजकोष में राशि जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रेषित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), उदयपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर